BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 167 of 2026
in
Misc. Application No. 12 of 2026
in
Original Application No. 961/2024

IN THE MATTER OF:

Nitin Dev ... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Page No
1.	REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 (DIVISIONAL FOREST OFFICER)	
2.	**Annexure A**: Copy of the File No. 8B/Uttaranchal/09/137/2001/F.C/220	
3.	**Annexure B**: letter no. 303/7-1-2001-800/1999 dated 30-07-2001	
4.	**Annexure C**: Death Certificate of the Lessee.	
5.	**Annexure D**: Copy of the Letter No. X-3-21/2(04)/2018 dated 14.09.2021	

Dated: /03/2026

Filed By:

Deepak Bora
Advocate
Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block,
Supreme Court of India,
New Delhi, 110001
Mobile No. 9971578987

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 167 of 2026
in
Misc. Application No. 12 of 2026
in
Original Application No. 961/2024

Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehshil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3111/2001
NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA
NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

Nitin Dev — Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. — Respondents

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4 (DIVISIONAL FOREST OFFICER)

S.N 516
27/3/026

I, Mr. Diganth Nayak, S/o Shri Narayan Nayak, aged about 34 years, presently working as **Divisional Forest Officer**, Narendra Nagar ForestDivision, Muni Ki Reti, Tehri Garhwal, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the present reply affidavit is being filed on behalf of Respondent No. 4 in response to the Interlocutory Application preferred by Respondent No. 5. At the very outset, it is most respectfully submitted that the present application is not maintainable qua the answering respondent, inasmuch as no relief, either directly or indirectly, has been sought against Respondent No. 4, nor does the application disclose any cause

of action or allegation against the answering respondent. The entire grievance of Respondent No. 5 is directed towards authorities such as Respondent No. 2 and other regulatory bodies dealing with pollution control, electricity supply, sealing/de-sealing of premises and operational permissions.

2. That it is also pertinent to submit that even from the averments made in the application itself, including the detailed narration of alleged compliances, notices, inspections and reports, all references are made to authorities such as UKPCB, Food Safety and Drug Officer, Fire Safety Officer and District Supply Officer and not against the Divisional Forest Officer.It is further submitted that, during the pendency of the present matter, the office of the Divisional Forest Officer has duly complied with the directions issued by this Hon'ble Tribunal. However, it is clarified that the proceedings, pertaining to Respondent No. 5 before the Divisional Forest Officer are still pending consideration in accordance with law.

part of S. N 516 27/3/026

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA Devendra Dutt Advocate & Notary Tehsil Rishikesh Distt. Dehradun Reg. No -311/2001 27/3/026

3. That in view of the above, the answering respondent respectfully submits that the present Interlocutory Application deserves to be considered only qua the concerned authorities against whom reliefs have been specifically sought.

4. That the subject property was originally leased in favour of Late Swami Vivekananda Das @ Udayraj Singh vide Lease No. 52, admeasuring 0.289 hectares, for a period of 30 years in the year 2001. A copy of the File No. 8B/Uttaranchal/09/137/2001/F.C/220 & letter no. 303/7-1-2001-800/1999 dated 30-07-2001 is annexed herewith and marked as **Annexure A& B** respectively. It is further submitted that the said lessee expired on 28.06.2011, and a copy of the Death Certificate is annexed herewith and marked as **Annexure C.**

Part of S.N 516
27/3/2026

NOTARY ★ Devendra Dutt Kuliyal Advocate & Notary Tehsil Rishikesh Distt. Dehradun Reg. No -311/2001 ★ GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
27/3/026

5. That the clause 2 of the lease renewal approval order states "Even after the lease is granted, the concerned forest land shall be used by the applicant only for the stated purpose, and that said land or any part thereof shall not be transferred to any other department, institution, or individual." Thus, it is clear that the said lease cannot be transferred to any other department, institution, or individual. After the death of Lessee, the use of the lease or the reserved forest area falls under the category of unauthorized encroachment, which constitutes a violation of Section 26 of the Indian Forest (Uttaranchal Amendment) Act, 2001, and the provisions of the Forest Conservation Act, 1980.

6. That it is pertinent to submit that as per Letter No. X-3-21/2(04)/2018 dated 14.09.2021, prior to the enforcement of

the Forest (Conservation) Act, 1980, the Forest Department was competent to grant leases on a permanent, long-term, as well as temporary or urgent basis for various purposes. It is further stated that urgent leases were granted by the concerned Conservator of Forests depending upon the exigencies, circumstances, and the nature of the purpose involved. A copy of the said letter is annexed herewith and marked as **Annexure D**.

Partap
S.N 516
27/3/2026

7. That in compliance with the order dated 17/09/2024, passed by this Hon'ble Tribunal, a joint inspection of Lease No. 52 was conducted on 25/09/2024 by a joint team of the Revenue Department and Forest Department. According to the joint inspection report, the total area of the forest land under lease was found to be 0.4146 hectares, which is 0.257 hectares more than the approved leased area. Consequently, the unauthorized encroachment found in the excess area of the approved lease was vacated by the department, and against Respondent No. 5, a case (No. 9/Shivpuri/2024-25) was instituted under Section 26 of the Indian Forest (Uttaranchal Amendment) Act, 2001. Additionally, under Section 61(a) of the Indian Forest (Uttaranchal Amendment) Act, 2001, a forest land encroachment case was filed before the Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division. The encroachment case is currently pending before the Divisional Forest Officer, with the next hearing scheduled for 16/04/2026.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
27/3/2026

8. That however, subsequent to the enactment of the Forest (Conservation) Act, 1980, it has become mandatory to obtain prior approval from the Government of India, Ministry of Environment and Forests, for grant of any fresh lease or renewal thereof in respect of forest land. It is further submitted that vide Notification No. 156/7-1-2005-500(826)/2002 dated 09.09.2005 issued at Dehradun, a State-level lease policy was brought into force. The said policy has been in operation for a considerable period and has been subject matter of consideration before various judicial fora, including the Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, and the Hon'ble National Green Tribunal, in matters relating to allotment and use of forest land for different purposes.

part of S.N 516 27/3/2026

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA Devendra Gupta Kuliyal Advocate & Notary Tehsil Rishikesh Distt. Dehradun

9. That it is further submitted that, upon grant or renewal of lease with due approval from the Government of India under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980, certain mandatory conditions and statutory requirements are required to be strictly adhered to by the lessee.

10. That as per Clause 3.2 relating to grant of new lease/transfer, and specifically sub-clause 3.2.1 thereof, it is stipulated that, henceforth, forest land shall not ordinarily be granted on lease except for purposes pertaining to Government, community use, or public utility. It is further provided that in cases of essential requirements, leases may be granted only through a

transparent mechanism ensuring equal opportunity to all eligible applicants.

11. That further, Clause 3.3 dealing with cases of violation and encroachment provides, inter alia, under sub-clause 3.3.1, that in the event the lessee utilizes the leased premises for any purpose other than that for which the lease was granted, such lessee shall be liable for imposition of penalty by the District Magistrate, calculated on the basis of prevailing market rate, including proportionate premium and additional charges as prescribed. It is further provided under sub-clause 3.3.3 that in case the leased property is used by any person other than the lessee, or is sub-let, transferred, or otherwise parted with possession in violation of the lease conditions, such lease shall not be renewed, and the property shall be resumed by the Forest and Revenue Departments, with consequential legal proceedings being initiated under the Indian Forest Act, 1927 and the Forest (Conservation) Act, 1980.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA Devendra Datt Kuliyal Advocate & Notary

PARA-WISE REPLY:

1. The contents of para 1 of the application are stated to be a matter of record. It is submitted that the same pertains to proceedings before this Hon'ble Tribunal and does not involve the answering respondent in any manner. Hence, no specific reply is called for.

2. The contents of para 2 are stated to be a matter of record to the extent they refer to orders passed by this Hon'ble Tribunal. It is, however, submitted that the directions referred therein do not cast any obligation upon the answering respondent and do not relate to the functioning or jurisdiction of Respondent No. 4.

3. The contents of para 3 are denied for want of knowledge insofar as they relate to Respondent No. 5 and its alleged compliance. It is submitted that the answering respondent has no role in the matters stated therein and is not concerned with the compliance of directions issued by other authorities.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
Devendra Dutt Kaliyal
Advocate & Notary

4. The contents of para 4 are stated to be a matter of record. It is submitted that the notices referred therein have been issued by authorities other than the answering respondent, and no role of Respondent No. 4 arises in the context of the said notices.

5. The contents of para 5 and its sub-paragraphs are denied for want of knowledge. The answering respondent is not concerned with the alleged compliance before the Food Safety and Drug Officer, Fire Safety Officer or District Supply Officer. The matters stated therein pertain to separate statutory authorities and do not involve the answering respondent in any capacity whatsoever.

6. The contents of para 6 are specifically denied insofar as they suggest compliance with directions of Respondent No. 2. The answering respondent has no role in the issuance of such directions or in verification of compliance thereof. Hence, no comments are warranted.

7. The contents of para 7 are denied for want of knowledge. The answering respondent is not concerned with any representations allegedly made to Respondent No. 2 or any other authority.

8. The contents of para 8 are denied for want of knowledge. It is reiterated that the answering respondent has no role in matters relating to Consent to Operate, STP installation, or any related compliance.

NOTARY
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA

9. The contents of para 9 are denied for want of knowledge. The answering respondent has no role in disconnection or restoration of electricity and is not concerned with the actions of the electricity authorities.

10. The contents of para 10 are denied for want of knowledge. The answering respondent is not concerned with the disposal

of effluent or any related environmental compliance as alleged.

11. The contents of para 11 are denied for want of knowledge. The answering respondent has no role in the operational or land-related assertions made therein, insofar as they are unrelated to forest jurisdiction.

part of S.N. 516
27/3/026

12. The contents of para 12 and 13 are denied for want of knowledge. The answering respondent is not concerned with the alleged hardship or operational difficulties of Respondent No. 5.

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehshil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001
27/3/2026

13. The contents of para 14 are denied. It is submitted that no directions can be sought or granted against the answering respondent, as no role or obligation is attributable to Respondent No. 4 in the present matter.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Rishikesh on this 27 day of 03/, 2026.

Partap
S.N 516
27/3/026

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001
27/03/026

DEPONENT

This affidavit is swomed before me
Shri ...Diganth Nayak...........
who is dentified by Shri.................
at Rishikesh on Dt..27/3/2026

D. D. KULIYAL 27/3/2026
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehsil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand. (India)

Annexure-A

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

Phone : 763149, 763148
763147, 763384
Fax No.: 763149
बी- 1/72, सेक्टर 'के' अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj
लखनऊ-226024
Lucknow-226024

पत्र सं0 8बी/उत्तरांचल/09/137/2001/एफ.सी./220
File No.

दिनांक 18.06.2001
Date

सेवा में,

सचिव (वन)
उत्तरांचल शासन
देहरादून ।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्ददास (लीज सं0 52) को 0.2089 हे0 वनभूमि का 30 वर्षों की लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1940/11सी-892(टि0) दिनांक 28.05.2001 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मांगी गयी है ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2(दो) के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्द दास (लीज नं0 52) को 0.2089 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।

(3) याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा खाली स्थान पर वृक्षारोपण किया जायेगा ।

(4) लीजधारक द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर खड़े हुए वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा एवं उनकी सुरक्षा की जायेगी ।

(5) याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रखरखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवजन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।

Signature of Mr Digambar Nayak

...../2

NOTARY
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA
27/3/026

ATTESTED
27/3/026
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehsil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand (India)

(6) प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।

(7) राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त यदि हो तो उसका पालन किया जायेगा ।

भवदीय

(जीतेन्द्र कुमार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक(एफ. सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 3.
2. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, टिहरी ।
4. आदेश पत्रावली ।

जीतेन्द्र कुमार 18/6/01
(जीतेन्द्र कुमार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

NOTARY ★ GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehshil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001

Signature of Mr
Diganth Mayur

ATTESTED
27/3/2026
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehshil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand. (India)

Annexure-B

संख्या जी0आई0:- 303/7-1-2001-800 /1999,

प्रेषकः-

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल,देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 30-7-2001.

विषयः- जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्द दास (लीज सं० 52) की 0.2081है० वन भूमि का 30 वर्षों की लीज हेतु नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः- 12/11सी-812(टि) दि० 3-7-2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्द दास (लीज सं० 52) को 0.2081है० ———— वन भूमि की लीज का 30 वर्षों हेतु नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/उत्तरांचल/01/137/2001/एफ०सी०/220 दि० 18-6-2001 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग उक्त प्रस्तावक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावक के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि पट्टाधारक के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि पट्टाधारक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि पट्टाधारक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो पट्टाधारक के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचायें, इसके लिए पट्टाधारक द्वारा उन्हें ईधन की लकड़ी अथवा अन्य ईधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
7. उक्त भूमि पर यदि कोई वृक्ष खड़े हों और उनका पातन किया जाना आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

Signatures of Mr. Diganth Nayak

ATTESTED
27/3/2026
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)20..
Tehshil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand (India)

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No

8. प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
9. *प्रश्नगत वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर, मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर आवेदक को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।*
10. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89– 3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक– '0070'–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
11. प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।
12. प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा खाली स्थान पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. लीज धारक द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर खड़े हुए वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा एवं उनकी सुरक्षा की जाएगी।

2. यह आदेश वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0– आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या– 303/7-1-2001-800/1999 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र) बी–1/72, सैक्टर (के), अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, इलाहाबाद।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वनप्रभाग, नरेन्द्रनगर।
6. स्वामी विवेकानन्द दास, ब्रह्मपुरी, पो० तपोवन, टिहरी गढ़वाल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

Signature of Mr Diganth Nayak

NOTARY ★ GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA ★ Devendra Dutt Kuliyal Advocate & Notary Tehsil Rishikesh Distt. Dehradun Reg. No.-3(01)2001

ATTESTED 27/3/2020
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehsil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand, (India)

Annexure-C

मृत्यु प्रमाण - पत्र

मृतक का नाम श्री .... उदयराजसिंह उर्फ स्वामी विवेकानन्द आश्रम

मृतक की आयु .... 71 .... वर्ष

पुत्र/पुत्री श्री .... भगवन्त सिंह

निवासी ग्राम .... हरिहरपुर .... डाकखाना .... सोनारी

थाना .... कोतवाली सीतापुर तहसील .... सीतापुर .... जिला सीतापुर

मृत्यु का स्थान एवं तिथि .... हरिहरपुर 28.6.11

मृत्यु का कारण .... बीमारी से

यह सूचना ग्राम सभा .... सोनारी .... के जन्म/मृत्यु रजिस्टर

भाग .... – .... की क्रम संख्या .... पृष्ठ संख्या 8

पर दर्ज है।

[signature]

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान का पूरा नाम

प्रधान

ग्राम सभा की मुहर

NOTARY ★ GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA ★
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -311/2001

Signature of mr
Diganth Nayak

ATTESTED
27/3/2026
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehsil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand, (India)

मृत्यु प्रमाण - पत्र

मृतक का नाम श्री उदय राज सिंह उर्फ स्वामी विवेकानन्ददास

मृतक की आयु 71 वर्ष

पुत्र श्री भगवन्त सिंह

निवासी ग्राम हरिहरपुर, डाकखाना सोनारी

थाना कोतवाली सीतापुर तहसील सीतापुर जिला सीतापुर

मृत्यु का स्थान एव तिथि हरिहरपुर, 28.06.11

मृत्यु का कारण बीमारी से

यह सूचना ग्राम सभा सोनारी के जन्म/मृत्यु रजिस्टर भाग........ की क्रम संख्या.......... पृष्ठ संख्या........ पर दर्ज है।

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान
ह०/-
ग्राम पंचायत सोनारी

NOTARY
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehshil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(11)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA

Signature of Mr
Diganth Nayak

ATTESTED
27/3/026

D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehshil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand, India

Annexure-D

संख्याः ——/X-3-21/2(04)201

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/ सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वन अनुभाग–03 देहरादूनः दिनांक 14 सितम्बर, 2021

विषयः–वन भूमि पर दी गयी लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई/दीर्घकालीन एवं अस्थाई/अल्पकालीन लीजें स्वीकृत की गई थी। दीर्घकालीन लीजें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती थी व अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थी। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। इस विषय पर शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 09, 2005 द्वारा राज्य स्तर पर वन भूमि हेतु लीज नीति निर्गत की गई थी। उक्त लीज नीति को लागू हुए लगभग 16 वर्ष हो चुके है तथा इस मध्य विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यों आदि हेतु आवंटित किए गए/किएं जाने वाले वन भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों–मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0 आदि से कई आदेश/निर्देश होने का संज्ञान हुआ है। जिसके संज्ञान में एवं राज्य की नई आवश्यकताओं के दृष्टिगत उक्त लीज नीति 2005 में यथाआवश्यक संशोधन कर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसे प्रासंगिक बनाया जाना आवश्यक है।

2– वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के लिए प्रत्येक वृत्त में अलग–अलग दरों से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता था व इन दरों में एकरूपता नहीं थी। लीज रेन्ट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृत की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीजधारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेन्ट के रूप वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

क्रमशः............02

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehshil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No.-3(01)2001

Signature of Diggvijay Nayak

ATTESTED
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehshil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand. (India)

3— पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीजधारकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:—

3.1 लीज़ों का नवीनीकरण :

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, गूल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं विद्यालय जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु सरकारी संस्थाओं को दी गई लीज़ों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में निःशुल्क एवं गैर सरकारी/निजी संस्थाओं हेतु रूपये 1.00 वार्षिक लीज़ रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा:

(एक). सरकारी संस्थाओं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागों को दी गयी वन भूमि के लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(दो). गैर सरकारी/निजी संस्थाओं को एक हेक्टेअर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रू0 1.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(तीन). गैर सरकारी/निजी लीजधारकों जिनके पास एक हेक्टेअर से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा, अर्थात् :—

$$\text{वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)} = \text{जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य} \times \frac{\text{लीज अवधि}}{90}$$

वन भूमि का मूल्य प्रत्येक नवीनीकरण में केवल उतने ही वर्ष का लिया जायेगा, जितने वर्ष हेतु लीज की अवधि होगी एवं प्रत्येक नवीनीकरण में वन भूमि का मूल्य उस समय के बाजार मूल्य के अनुसार संशोधित किया जायेगा।

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

(एक). सरकारी संस्थाओं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागों को दी गयी वन भूमि के लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(दो). गैर सरकारी/निजी लीजधारक जिनके पास 5 नाली (एक हजार वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 100.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

NOTARY
Devendra ... Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Dist. Dehradun
Reg. No-311...
GOVT. OF UTTARAKHAND

क्रमशः........03

(तीन). गैर सरकारी/निजी लीजधारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज़ पर है उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा। अर्थात वन भूमि का मूल्य प्रत्येक नवीनीकरण में केवल उतने ही वर्ष का लिया जायेगा, जितने वर्ष हेतु लीज़ की अवधि होगी एवं प्रत्येक नवीनीकरण में वन भूमि का मूल्य उस समय के बाजार मूल्य के अनुसार संशोधित किया जायेगा।

3.1.4 व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दी गई दीर्घ कालिक लीज़ों के नवीनीकरण हेतु ऐसे प्रकरण जिनमें वन भूमि का प्रीमियम एकमुश्त लीजधारक द्वारा जमा कर दिया गया हो, उनके लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के धनराशि का पाँच प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु दी गयी दीर्घकालिक लीजों के नवीनीकरण हेतु ऐसे प्रकरण जिनमें वन भूमि का प्रीमियम एकमुश्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया हो, तो उसका नवीनीकरण के समय तत्समय के सर्किल रेट को आधार मानते हुए प्रीमियम (प्रोरेटा मूल्य) का निर्धारण नवीनीकरण की अवधि के लिए किया जाएगा तथा पूर्व में लिए गए प्रीमियम की धनराशि से समायोजित करते हुए, यदि कोई अतिरिक्त देय राशि बनती है तो उसे लेने के उपरांत लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। (यथा यदि किसी सम्पति को लीज पर 1930 में 90 वर्ष के लिए दिया गया हो तथा तत्समय सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रीमियम की धनराशि रू0 60.00 लाख एकमुश्त राजकोष में जमा करा ली गयी हो तो यदि 30 वर्षों के उपरांत नवीनीकरण का आवेदन दिया जाता है तो तत्समय प्रोरेटा आधार पर भूमि का मूल्य यदि रू 2 करोड़ बनता है तो रू0 40 लाख (रू0 60 लाख–रू 20 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए रू0 1 करोड़ 60 लाख लेते हुए नवीनीकरण किया जाएगा।)

2– ऐसे व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु दी गयी लीज़ों, जिनमें वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) केवल लीज अवधि के लिए ही लिया गया था, के नवीनीकरण हेतु प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं उक्त प्रीमियम धनराशि का 5 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लेते हुए नवीनीकरण किया जाएगा।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND Devendra Dutt Kuliyal Advocate & Notary Tehsil Rishikesh Distt. Dehradun Reg. No.

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीज़ों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा :

(i) किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उस पंथ की श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध की वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा।

क्रमशः............04

(ii) जिन लीज़धारकों द्वारा लीज़ का व्यावसायिक उपयोग (पूर्ण एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाज़ार दर का लीज़ अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 1.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवं जल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीजों का नवीनीकरण 1.00 रूपये वार्षिक लीज रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 नई लीज़ें/स्थानान्तरण

3.2.1 भविष्य में शासकीय, सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी। आवश्यक प्रयोजनों हेतु सभी पात्र आवेदकों के लिये समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी व्यवस्था से लीज आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

3.2.2 राज्य सरकार के सभी विभागों के गैर व्यवसायी, जनोपयोगी कार्यो यथाः– विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं, औषधालय/चिकित्सालय, विद्युत और दूरसंचार लाइन्स, पेयजल, जल/वर्षा जल हार्वेस्टिंग अवसंरचना, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब स्टेशन, संचार पोस्ट, सड़क का निर्माण/चौड़ीकरण के साथ ही सड़क के किनारे प्रतिष्ठानों के लिए संपर्क मार्ग, सीमा सड़क संगठन (BRO) के वर्तमान पुलों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण, पुलिस प्रतिष्ठानों जैसे पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/सीमावर्ती आउटपोस्ट/संवेदनशील क्षेत्रों में टावर्स (गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित), सरकार द्वारा अनुमोदित सामुदायिक शौचालय आंशिक या पूर्णतः वन भूमि में जो एक हैक्टेयर से अधिक न हो, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र और वाटर मिलों में शहरी निकायों द्वारा अनुमोदन के अधीन हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात् अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अवधि हेतु वन भूमि का लीज निःशुल्क दिया जायेगा तथा वन भूमि का मूल्य भी नहीं लिया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा। दीर्घकालीन लीज सामान्यतः 30 वर्ष के लिये दिया जायेगा जिसे आवेदक की यथा आवश्यकता/औचित्य एवं सम्यक् परीक्षणोपरान्त 30–30 वर्ष के लिये बढाया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम लीज अवधि 90 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं पंचायती राज संस्थाओं को एवं अन्य शासकीय/स्वायत्तशासी निकायों/निगमों को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं, सड़क निर्माण एवं खनिज के चुगान कार्यों हेतु इन संस्थाओं से वन भूमि का रू0 1.00 वार्षिक लीज रेन्ट की दर से लिया जायेगा एवं वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

NOTARY
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
OF UTTARAKHAND

क्रमशः......05

3.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर विका कार्यों हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात रू0 100 प्रति प्रकरण की दर से लीज रेन्ट लिया जायेगा एवं वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि प प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रु 1.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा एवं वन भूमि का मूल्य ना लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर–3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 के सिवाय विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि प प्रस्तावित निम्नलिखित लीज़ों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाज़ार दर व लीज अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(एक). जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।

(दो). जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।

(तीन). वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को व भूमि लीज़ पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धि उपक्रमों/संस्थाओं को वरीयता दी जायेगी।

(चार). राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयत्रों की स्थापना हेतु ए एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा व भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–645 /14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाज़ार दर से व भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.3 उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले :-

3.3.1 लीज़धारक जिनके द्वारा भू–उपयोग में परिवर्तन का वन भूमि का उपयोग लीज के मू प्रयोजन से इतर कार्यों हेतु किया जा रहा है अथवा लीज की शर्तों का उल्लंघन किय गया है, ऐसे लीज़धारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाज़ार दर का लीर अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिए जाने के अतिरिक्त, प्रीमियम का पाँच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप वसूल क जायेगी।

3.3.2 जिन लीज़धारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में व भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज नवीनीकरण क प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

क्रमशः..........06

NOTARY
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehsil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA

3.3.3 लीज पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसको लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीजों को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा तथा लीजधारक के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आपराधिक मामले रजिस्ट्रीकृत किये जायेगें।

3.4 **विविध :**

3.4.1 लीज नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत/खोला (reopen) नहीं जायेगा।

3.4.2 शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं शासनादेश संख्या–666/14–2–600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500 (826)/2002, देहरादून: दिनांक: सितम्बर 09, 2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

3.4.3 उक्त लीज नीति में परिवर्तन–परिवर्धन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से सम्पादित कराये जायेगें।

NOTARY
Devendra Dutt Kuliyal
Advocate & Notary
Tehshil Rishikesh
Distt. Dehradun
Reg. No -3(1)/2001
GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: 1125 X-3-21/02(04)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख/अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Signature of Mr. Digambar Nayal

ATTESTED
D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01)2001
Tehshil Rishikesh, Distt. Dehradun
Uttarakhand (India)